न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः—133/18

01. देवा पुत्र भौरिया,
02. छोटू पुत्र भौरिया,
03. भगवाना पुत्र भौरिया,
04. घासी पुत्र भौरिया,
05. श्रीमती मन्नी पत्नी घासी,
06. नाथू पुत्र भरता,
07. लक्ष्मण पुत्र भरता,
08. रामकिशन पुत्र भरता,
09. श्रीमती दूली पत्नी नाथू,
10. श्रोमती भूली पत्नी लक्ष्मण,
11. श्रीमती प्रभू पत्नी रामकिशन,
12. श्रीमती संती पत्नी रामजीलाल,
13. रेवड़ पुत्र धन्ना,
14. बोदू पुत्र धन्ना,
15. जयराम पुत्र छीतर,
16. रामस्वरूप पुत्र छीतर,
17. रामसिंह पुत्र छीतर,
18. रामेश्वर पुत्र छीतर,
19. दाखा पत्नी छीतर, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लुनेठा, गुर्जरों की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

01. रामचन्द्र पुत्र रामनाथ,
02. कालू पुत्र रामनाथ,
03. श्रीमती धापा पत्नी रामनाथ,
04. नानगराम पुत्र पन्ना,
05. गोविन्दा पुत्र पन्ना,
06. हनुमान पुत्र भैंरू,
07. राजेश पुत्र भैंरू,
08. मुकेश पुत्र भैंरू,
09. बाबूलाल पुत्र भैंरू,
10. जगदीश पुत्र भैरू,
11. श्रीमती सूजा पत्नी भैंरू,
12. श्रीमती अनोखी पत्नी लक्ष्मण,
13. श्रीमती कमला पत्नी गोपाल, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लुनेठा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
14. श्रीमती भौरी पत्नी महेश कुमार पारीक निवासी प्लॉट नम्बर डी--450, विधाधर नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
15. मैनेजर, स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायसर तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त

P.T.O

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् ने पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 20.03.2017 को यह आदेश देकर निर्देशित किया था कि तहसीलदार जमवारामगढ से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर उभयपक्षों को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय दे किन्तु न्यायालय श्रीमान् के उक्त आदेश की पालना नही की गई तथा आपके आदेश के विपरित निर्णय दे दिया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार जमवारामगढ स्वयं मौके पर नही गये बल्कि पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाली, पटवार हल्का ने प्रार्थी को मौके पर नही बुलवाया तथा न ही मौके पर जाकर रकबा बरारी की गई तथा न ही नाप जोख की बल्कि बिना नाप जोख किये ही रकबा बरारी की रिपोर्ट दे दी, ऐसी रिपोर्ट पर किया गया निर्णय विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि एकीकरण से पूर्व भूमि 59 बीघा भू अभिलेखों में दर्ज थी किन्तु एकीकरण विभाग ने 59 बीघा के स्थान पर 84 गलत रूप से दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर केवल 59 बीघा भूमि है जो मौके से स्पष्ट है। उन्होने आगे कथन किया है कि मौके व मानचित्र में रास्ता बना हुआ है जो आज भी विधमान है जिससे प्रार्थी आवागमन एवं हल बैल व गाडी आदि ले जाने में उपयोग में लाता है जिसका मौका निरीक्षण किया जा सकता है किन्तु विपक्षीगण भू अभिलेखों में 59 बीघा के स्थान पर 84 बीघा गलत दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने की गरज से आम रास्ते की भूमि पर कब्जा करना चाहता है, प्रार्थी व अन्य लोगों के आवागमन में डाली लगा कर बांधा डालते है जिससे अपीलार्थीगण अपने खेतों पर खेती करने तथा फसल को सम्भालने नही जा सकता है जिससे प्रार्थीगण को फसल न करने तथा न काटने तथा न सम्भालने के कारण हानि हो रही है क्योंकि खेत पर आने का मौके पर अन्य सुविधाजनक अन्य कोई रास्ता नही है, तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा इस तथ्य के विपरित रिपोट दी है इस गलत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया निर्णय पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी का यह कथन कि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार नाप जोख एवं रकबा पूर्व अनुसार ही है तथा अप्रार्थीगण की ओर से रकबा घटाया बढाया नही गया है, पूर्णतः मौके के विपरित तथा मौकी की स्थिति के विपरित होने से निरस्तनीय है, उपरोक्त कारणों से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय न्याय व

प्राकृति के स्वाभाविक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार हो तथा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त हो तथा उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जावें कि स्वयं मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सम्पूर्ण भूमि की रकबा बरारी कर इस तथ्य की जानकारी रिपोर्ट प्राप्त करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की तहसीलदार जमवारामगढ से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है एवं तहसीलदार जमवारामगढ की रिपोर्ट क्रमांक 450 दिनांक 26.02.2018 के अनुसार विवादित आराजी के पूर्व नक्शों का नाप कर मिलान करने पर दोनो नक्शों में किसी प्रकार का अन्तर नही पाया गया तथा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 22.03.2017 के अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ से विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की जॉच रिपोर्ट मंगवाई जाकर एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुऐ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है । अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार जमवारामगढ की रिपोर्ट क्रमांक 450 दिनांक 26.02.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम लुनेठा के खसरा नम्बर 31/2/1 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 31/2/3 रकबा 10 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 68, 69, 69/378 बने है व हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 7.69 हैक्टयर के पूर्व खसरा नम्बर 28, 29, 30 है जिसके हाल व पूर्व नक्शें का नाप कर मिलान करने पर दोनों नक्शों में किसी प्रकार का अन्तर नही पाया गया तथा पटवारी के पास उपलब्ध नक्शे से मिलान करने पर भी हाल व पुराने नक्शे में किसी प्रकार का अन्तर नही पाया गया है। ऐसे में जब तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार हाल व पूर्व के नक्शों में अन्तर ही नही पाया गया है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2018 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर